उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-749/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.260-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(320)-2024

लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त, 2024

अधिसूचना

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) की धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और उसके परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठों में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की अर्हता के संबंध में, एतद्द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) की धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के परन्तुक के अनुसार "समूह क या समकक्ष में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने" की आवश्यकता से अर्हता को शिथिल करके, इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के लिए "राजपत्रित अधिकारी के रूप में सरकार में कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने" करते हैं;

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) की धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में यथाअंतर्विष्ट अन्य समस्त शर्तें भी लागू होंगी।

आज्ञा से,

(डॉ नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव